आदेश

यह वाद अंचल अधिकारी,डोमचांच द्वारा मौजा–नावाडीह थाना–डोमचांच जिला–कोडरमा के अन्तर्गत खाता नं0–85 प्लॉट नं0–583 रकवा–0.01 एवं प्लॉट स0–584 रकवा–0.09 डी0 कुल रकवा–10.डी0 भूमि के सम्बन्ध में दाखिल–खारीज वाद सं0–05/2015 में पारित ओदश दिनांक–17.08.2015 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया गया। साथ हीं कालबाधा क्षान्त हेतु धारा 5 का आदेश दिया गया। कालबाधा क्षान्त के उपरान्त उभय पक्षों को विधिवत नोटिस निर्गत कर तामिला कराया गया ।

उभय पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं उपस्थित होकर अपना–अपना पक्ष एवं कारण पृछा दाखिल किया। उभय पक्षों के बिच प्रस्तावित भूमि को लेकर विवाद है।

प्रथम पक्ष आवेदक का कहना है कि मौजा–नावाडीह थाना–डोमचांच जिला–कोडरमा के अन्तर्गत खाता नं0–85 सर्वे खतियान में भतन मियां के नाम से दर्ज है जो निम्न प्रकार है:–

खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा
85	1185	0.43डी0
85	583	0.09डी0
85	584	0.01डी0
		कुल रकवा–0.53डी0 है।

प्रश्नगत भूमि में से आवेदक प्रथम पक्ष प्रमेश्वर मेहता ने मौजा–नावाडीह अन्तर्गत खाता नं0–85 प्लॉट नं0–1185 में रकवा–10डी0 भूमि तीन अलग–अलग निबंधित विक्रय केवाला सं0–4010 दिनांक–14.06.1993 के द्वारा 02डी0 केवाला सं0–5011/90 दिनांक–31.05.1990 के द्वारा 04डी0 तथा केवाला सं0–154 दिनांक–11.01.2012 के द्वारा 04डी0 भूमि है। जिसका दाखिल–खारीज वाद सं0–1042/2007–08 के द्वारा 04डी0, दाखिल–खारीज वाद सं0–1041/2007–08 के द्वारा 02डी0 एवं दाखिल–खारीज वाद सं0–422/2013–14 के द्वारा 04डी0 भूमि का दाखिल–खारीज अंचल अधिकारी,डोमचांच से होकर आवेदक के नाम से लगान रसीद निर्गत होते चला आ रहा है, और उक्त भूमि पर प्रमेश्वर मेहता का मकान बना है। पुनः आवेदक खतियानी रैयत भतन मियां के वंशज जहीम मियां, मनीर उद्दीन मियां दोनों के पिता–स्व वजीर मियां, रफीक मियां पिता–स्व0 अमीर मियां मिन्हाज अंसारी ,नान्हु मियां, मंसुर मियां तीनों के पिता–स्व0 सलीम मियां के द्वारा मौजा–नावाडीह थाना–डोमचांच जिला–कोडरमा अन्तर्गत खाता नं0–85 प्लॉट नं0–1185 रकवा–43डी0 भूमि निबंधित केवाला सं0–5917 दिनांक–02.12.2013 के द्वारा 16½डी0, केवाला सं0–5918 दिनांक–02.12.2013 के द्वारा 16½डी0 एवं केवला सं0–5919 दिनांक–02.12.2013 के द्वारा 10डी0 कुल रकवा–43डी0 भूमि क्रय कर दखलकार हुए।

आवेदक का यह भी कहना है कि प्रश्नगत खाता सं0–85 के प्लॉट सं0–583,584 एवं 1185 पर विपक्षीगण की चाहरदिवारी नही है बल्कि खाता सं0–32 प्लॉट सं0–1184 एवं 1186 पर विपक्षीगण की चाहरदिवारी है, प्रश्नगत भूमि पर आवेदक का दखल–कब्जा है।

आवेदक का कहना है कि जमींदारी समाप्त होने के बाद विपक्षी के दादा चमन लोहार या गुली मियां के नाम से जमींदार द्वारा रिर्टन दाखिल करने का काई प्रमाण/साक्ष्य नही है। अंचल के पंजी में चमन लोहार के नाम से दर्ज जमाबन्दी प्राप्त में किसी सक्षम पदाधिकारी का आदेश हस्ताक्षर नहीं है तथा बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश से जाली लगान रसीद निर्गत किया गया है। पंजी ii में चमन लोहार के नाम से अवैध जमाबन्दी 28डी0 का दर्ज है, जबकि चमान लोहार के नाम से 37डी0 भूमि का रसीद निर्गत किया गया है, जो सन्देहात्मक है।

आवेदक का यह भी कहना है कि विपक्षीगण आपतिकर्त्ता द्वारा भूमि हडपने के लिए एक फर्जी हुकुमनामा तैयार कराया गया है, जिसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि भतन मियां की नावल्द मृत्यु हुई है और न हीं निरंजन महतो का जमीन्दार हाने का कोई प्रमाण/साक्ष्य है। विपक्षीगण द्वारा दावा किया जा रहा है कि चमन लोहार और गुली मियां दोनो के नाम से प्रश्नगत खाता प्लॉट की भूमि बन्दोबस्ती की गई है लेकिन विपक्षीगणों द्वारा

बन्दोबस्ती को कोई कागजात दाखिल नही किया है कि किस आधार पर एवं किसके द्वा प्रश्नगत भूमि चमन लोहार और गुली मियां को हासिल है।

आवेदक का यह भी कहना है कि प्रश्नगत खाता सं0–85 प्लॉट सं0–1185 में रकवा–10डी0 भूमि विभिन्न निबंधित केवाला द्वारा वर्ष 1990 एवं 2012 में हीं खतियानी रैयत के वारिसानों से प्रश्नगत भूमि का केवाला कराया गया एवं दाखिल–खारीज होने के पश्चात् मालगूजारी रसीद निर्गत किया गया की जानकारी विपक्षीगणों को थी, परन्तु विपक्षीगण द्वारा कभी कोई आपती नही किया गया।

आवेदक द्वारा मौजा–नावाडीह थाना–डोमचांच जिला–कोडरमा अन्तर्गत खाता सं0–85 प्लॉट सं0–1185 रकवा–16.50डी0 भूमि की जमाबन्दी कायम कर लगान रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक के द्वारा अपने दावा के समर्थन में निम्नलिखित कागजात जमा किया है:–

1.निबंधित केवाला सं0–5917 दिनांक–02.12.2013 की छाया प्रति।
2.भतन मियां पिता–सिटू मियां का वंशावली का शपथा पत्र की छाया प्रति।
3.भोटर लिस्ट की छाया प्रति।
4.अंचल अधिकारी,डोमचांच का जांच पत्र की छाया प्रति।
5.खाता नं0–85 मौजा–नावाडीह का खतियान की छाया प्रति।

द्वितीय पक्ष (विपक्षीगण) का कहना है कि मौजा–नावाडीह थाना–डोमचांच जिला–कोडरमा अन्तर्गत खाता सं0–85 वर्ष–1911–12 में सर्वे के अनुसार सर्वे खतियान में भतन मियां के नाम से दर्ज था। भतन मियां का वर्ष–1936 में नावल्द मृत्यु होने से प्रश्नगत खाता नं0–85 की सम्पूर्ण भूमि तत्कालिन जमीन्दार निरंजन महतो ने अपने दखल कब्जा में ले लिया । जमीन्दार निरंजन महतो ने प्रश्नगत खाता सं0–85 प्लॉट सं0–1185 रकवा–43डी0 मधे 16डी0 भूमि 1350 साल फसली (वर्ष–1943) को द्वितीय पक्ष (आपतिकर्त्ता) के दादा चमन विश्वकर्मा पिता–जोधन विश्वकर्मा के नाम से बन्दोबस्ती कर दिया शेष 16डीव भूमि गुली मियां पिता–गणेश मियां के नाम से बन्दोबस्त कर दिया। इसके अतिरिक्त जमीन्दार ने खाता सं0–85 के अन्य प्लॉटों की भूमि को भी गुली मियां के नाम बन्दोबस्त कर दिया। गुली मियां ने विभन्न केवाला के माध्यम से विपक्षीगण के दादा चमन विश्वकर्मा के नाम से बिक्री कर दिया जो निम्न प्रकार है:–

1.खाता सं0–85 प्लॉट सं0–1185 रकवा–12डी0 केवाला सं0–3373 दिनांक–20.06.1950
2.खाता सं0–85 प्लॉट सं0–584 रकवा–09डी0 केवाला सं0–5466 दिनांक–09.09.1957

इस प्रकार विपक्षीगण खाता सं0–85 से (16डी0+12डी0+09डी0) कुल–37डी0 भूमि पर दखलकार हुए। जिसपर उनका मकान,कुआं,बाथरूम एवं चाहरदिवारी अवस्थित है। जिसका जमाबन्दी दर्ज होकर–37डी0 भूमि का लगान रसीद चमन विश्वकर्मा के नाम से निर्गत हो रहा है।

द्वितीय पक्ष का यह भी कहना है कि गुली मियां, चमन लोहार के अतिरिक्त गफुर मियां को खाता सं0–85 प्लॉट नं0–925 में रकवा–11डी0 दरबारी महतो को प्लॉट सं0–1185 में 04डी0 एवं मसोमात नसवां को प्लॉट सं0–1185 से 04डी0 भूमि बिक्री किया गया है सभी खरीदारों के नाम से जमाबन्दी दर्ज होकर सरकारी लगान रसीद निर्गत होता आ रहा है।

विपक्षीगण का यह भी कहना है कि आवेदक द्वारा भूमि को हडपने की नीयत से गलत व्यक्तियों को खतियानी रैयत का वारिसान बताकर केवाला कराया गया है। इन्होने आवेदक के दाखिल–खारीज आवेदन को अस्वीकृत करने का अनुरोध किया है।अपने दावा के समर्थन में विभन्न कागजात सूची के साथ दाखिल किया गया है। जो अभिलेख के साथ संलग्न है।

द्वितीय पक्ष का यह भी कहना है कि प्रश्नगत भूमि को लेकर मानीय न्यायालय सब जज–01,कोडरमा के न्यायालय में टाईटल सूट चल रहा है। जिसका टाईटल सूट नं0–127 / 2015 है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है प्रश्नगत भूमि को लेकर उभय पक्षों के बिच भूमि हक हकियत को लेकर विवाद है। जिसका टाईटल सूट माननीय न्यायालय सब जज–01,कोडरमा के न्यायालय में मामला विचाराधिन है। ऐसी परिस्थिति में टाईटल सूट नं0–127/2015 के निष्पादन तक कोई आदेश पारित करना न्यायोचित प्रतित नही होता है।

अतःवाद की कार्रवाई बिना कोई प्रभावी आदेश के समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का अभिलेख अंचल अधिकारी,डोमचांच को वापस भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

25/7/17
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
कोडरमा।

25/7/17
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
कोडरमा।

पत्रांक 707/216 दिनांक 05.10.18 द्वारा भेजा गया